

Constitutional Provisions for Scheduled Castes

The Directive Principles of the State Policy further stress in Article 41 the right to work, to educate and to public assistance in certain cases including disablement. In addition to Article 45, the Constitution lays down that free, compulsory and universal primary education should be provided to all children upto 14 years of age. Article 46 of the Constitution of India commits the State to promote educational and economic interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Weaker Sections. The Constitution has tried to minimise the discrimination and tried to put these groups at par with others. Following are some major provisions according to the Constitution of India for all-round improvement of scheduled castes.

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों ने अनुच्छेद 41 में विकलांगों सहित कुछ मामलों में काम करने, शिक्षित करने और सार्वजनिक सहायता के अधिकार पर जोर दिया। अनुच्छेद 45 के अलावा, संविधान यह कहता है कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त, अनिवार्य और सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए राज्य को प्रतिबद्ध करता है। संविधान ने भेदभाव को कम करने की कोशिश की है और इन समुहों को दूसरों के साथ बराबर रखने की कोशिश की है। अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण सुधार के लिए भारत के संविधान के अनुसार कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं।

Article 14

अनुच्छेद 14

The State shall not deny to any person equality before the law on the equal protection of the laws within the territory of India Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth.

भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण पर कानून के समक्ष किसी भी व्यक्ति की समानता से राज्य इनकार नहीं करेगा, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।

Article 15

It refers to prohibition of discrimination on ground of religion, race, castes, sex or place of birth or any of them.

अनुच्छेद 15

यह धर्म, जाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर भेदभाव के निषेध को संदर्भित करता है।

Article 16 (1)

There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointments to any office under the State.



अनुच्छेद 16 (1)

राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्तियों से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।

Article 17

Abolition of Untouchability. Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of Untouchability shall be an offence punishable in accordance with law.

अनुच्छेद 17

अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता समाप्त कर दी जाती है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी विकलांगता का प्रवर्तन कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा।

Article 19 (1)

अनुच्छेद 19 (1)

All citizens shall have the right; सभी नागरिकों को अधिकार होगा:

- (a) to freedom of speech and expression; भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता;
- (b) to assemble peaceably and without arms; शांति-संयम और हथियारों के बिना इकट्ठा करने के लिए
- (c) to form associations or unions; संघों या यूनियनों के गठन के लिए;
- (d) to move freely throughout the territory of India; पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने के लिए
- (e) to reside and settle in any part of the territory of India; and भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने के लिए; तथा
- (g) to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business. किसी पेशे का अभ्यास करना, या किसी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को करना।

Article 24

Prohibition of employment of children in factories, etc. No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment

अनुच्छेद 24

कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा।

Article 29 (2)

No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the State or receiving aid out of State funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them.

अनुच्छेद 29 (2)

किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा अन्रक्षित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा या केवल धर्म, जाति, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर राज्य निधियों से सहायता प्राप्त करना

Article 45

Provision for free and compulsory education for children. The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years.

अनुच्छेद 45

बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। राज्य इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर, सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए, जब तक वे चौदह वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते, प्रदान करने का प्रयास करेंगे.

Article 46

अनच्छेद 46

Promotion of educational and economic interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections. The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation.

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। राज्य विशेष रूप से लोगों के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को बढ़ावा देगा, और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा।

The National Policy on Education (1986) was egalitarian and inclusionist in its approach. It laid special emphasis on the removal of disparities and to equalise educational opportunities by attending the specific needs of those who have been denied equality so far. The revised Policy Formulation and Programme of Action (POA, 1992) recommended schemes and programmes for educational development of SCs including other disadvantaged sections of the country.

शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (1986) अपने दृष्टिकोण में समतावादी और समावेशी थी। इसने विषमताओं को दूर करने और उन लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं में भाग लेकर शैक्षिक अवसरों को समान करने पर विशेष जोर दिया, जिन्हें अब तक समानता से वंचित रखा गया है। संशोधित नीति निर्माण और कार्य कार्यक्रम (पीओए, 1992) ने देश के अन्य वंचित वर्गों सहित एससी के शैक्षिक विकास के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों की सिफारिश की।

The National Curriculum Framework (2005) emphasised on addressing the disadvantages in education arising from inequalities of gender, caste, language, culture and religion, not only through policies and schemes but also through the design and selection of learning tasks and pedagogic practices, right from the period of early childhood

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) ने लिंग, जाति, भाषा, संस्कृति और धर्म की असमानताओं से उत्पन्न शिक्षा में होने वाली हानियों को दूर करने पर जोर दिया, न केवल नीतियों और योजनाओं के माध्यम से, बल्कि सीधे प्रारंभिक बाल्यावस्था के चरण से शिक्षण कार्यों और शैक्षणिक प्रथाओं के डिजाइन और चयन के माध्यम से.



LEVEL-2

24 TOTAL TESTS

The tenth five year plan (2002-2007) emphasised on empowering the marginalised sections including SCs for raising their social, economic and educational status. Some of the major approaches by the plan are:

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति बढ़ाने के लिए एससी सहित सीमांत वर्गों को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। योजना के कुछ प्रमुख दृष्टिकोण हैं:

- Due weightage and priority to programmes catering to educational and economic development of SCs for ensuring equitable distribution and growth with social justice. सामाजिक न्याय के साथ समान वितरण और विकास सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों के शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए कार्यक्रमों के लिए वेटेज और प्राथमिकता
- Prioritising fulfilment of basic needs including primary education. प्राथमिक शिक्षा सहित बुनियादी जरूरतों की पूर्ति को प्राथमिकता देना
- Special effective interventions to 'reach the unreached' and thus, fil the exiting gaps between the status of the SCs and the general population, with a focus on SC women and the girl children. "अप्रतिबंधित तक पहुँचने" के लिए विशेष प्रभावी हस्तक्षेप और इस प्रकार, एससी महिलाओं और बालिकाओं पर ध्यान देने के साथ एससी और सामान्य आबादी की स्थिति के बीच बाहर निकलने वाले अंतराल को भरना
- Special efforts to fulfil the commitment through Universalistion of Elementary Education (UEE) with a special focus on low literacy pockets and on the educationally backward SCs. कम साक्षरता जेब पर और शैक्षिक रूप से पिछड़े एससी पर विशेष ध्यान देने के साथ प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकता (युईई) के माध्यम से प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए विशेष प्रयास
- Arresting problem of school dropouts and improving enrolment/retention rates by ensuring easy access; and provision of adequate support facilities like hostels, creches and special incentives to poor students like scholarships, free books, free uniforms, transport charges besides compensation to families etc. स्कूल छोड़ने वालों की समस्या और आसान पहुंच स्निश्चित करके नामांकन / प्रतिधारण दरों में सुधार; और गरीब छात्रों, जैसे छात्रवृत्ति, मुफ्त किताबें, मुफ्त वर्दी, परिवहन शुल्क और परिवारों को मुआवजे के अलावा परिवहन की पर्याप्त सहायता सुविधाओं का प्रावधान।
- Taking steps to ensure provision of quality education to equip the educationally backward SCs to enhance their employment prospects and competitive abilities and thus mitigate the problems of their marginalisation/deprivation. शैक्षिक रूप से पिछड़े एससी को रोजगार की संभावनाओं और प्रतिस्पर्धी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना और इस प्रकार उनके हाशिए / अभाव की समस्याओं को कम करना।
- Emphasising on vocational education both at middle and high schools to enable them (SC children) to enhance technical and productive abilities. तकनीकी और उत्पादक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उन्हें (एससी बच्चों) सक्षम करने के लिए मध्यम और उच्च विद्यालयों दोनों में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देना

Schemes for Educational Development of Scheduled Castes

अन्सचित जातियों के शैक्षिक विकास के लिए योजनाएँ

Some such provisions are:

ऐसे कुछ प्रावधान हैं:

- Opening of residential schools/Ashrams आवासीय विद्यालय / आश्रम खोलना
- Pre- and Post-metric scholarships प्री- और पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति
- Free textbooks and uniforms निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और वर्दी

- Hostels for girls and boys लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास
- Book bank schemes बैंक योजनाएँ बुक करना
- Upgradation of merit of SC/ST students एससी / एसटी छात्रों की योग्यता का उन्नयन
- Remedial coaching schemes उपचारात्मक कोचिंग योजनाएँ
- Grant-in-aid to voluntary organisations स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करना
- Social development programmes for SC girls belonging to low literacy areas. कम साक्षरता वाले क्षेत्रों की अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए सामाजिक विकास कार्यक्रम।

The major schemes like DPEP, Lok Jumbish, Operation Blackboard, Minimum Level of Learning and DPEP, SSA, RMSA, etc. are measures taken for enhancing the enrolment and quality of education. Some of the important measures taken under these programmes are as follows:

डीपीईपी, लोक जुंबिश, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, न्यूनतम स्तर की शिक्षा और डीपीईपी, एसएसए, आरएमएसए, आदि जैसी प्रमुख योजनाएं नामांकन और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किए गए उपाय हैं। इन कार्यक्रमों के तहत किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:

- Mid-day meal scheme मध्याह्न भोजन योजना
- Educational Guarantee Schemes and Alternative and Innovative Education शैक्षिक गारंटी योजनाएं और वैकल्पिक और अभिनव शिक्षा
- Community Based Monitoring समुदाय आधारित निगरानी
- Interventions of Early Childhood Care and Education बचपन की देखभाल और शिक्षा के हस्तक्षेप
- Anganwadi and Balwadi आंगनवाड़ी और बलवाड़ी
- School and Teacher grant for all teachers सभी शिक्षकों के लिए स्कूल और शिक्षक अनुदान
- Incentive and Remedial/Coaching Schemes प्रोत्साहन और उपचारात्मक / कोचिंग योजनाएँ
- Inservice Teacher Training, Orientation Programmes and Workshops will be constituted इनसर्वर टीचर ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन प्रोग्राम और वर्कशॉप का गठन किया जाएगा
- Grant-in-aids ग्रांट-इन-एड्स
- Vocational education and training for skills development. कौशल विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण



